न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना–पत्र (ट्रांसफर) संख्याः 14/2023

दायर दिनांकः 02.08.2023

आदेश दिनांक 25.08.2023

–:अनवानः–

कालु पिता श्री अमरा जी, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी जावद, तहसील व जिला राजसमन्द

–– प्रार्थी

–:बनामः–

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, रेलमगरा **–– विपक्षी**

प्रार्थना पत्र पत्रावली अन्तरण बाबत अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी

2– श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के यहॉ प्रस्तुत किया हैं, जो अनवान कालु बनाम राजस्थान राज्य होकर प्रकरण संख्या 139 सन् 2022 प्रार्थना पत्र लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के रूप में विचाराधीन था। जिसके संबंध में पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय नही किये जाने से अंतरण हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस पर आप न्यायालय द्वारा पक्षकारान को सुनकर उक्त प्रकरण में उक्त पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर रेलमगरा के यहॉ अन्तरण किये जाने का आदेश दिनांक 28.03.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना में उक्त प्रकरण माननीय सहायक कलेक्टर रेलमगरा में दर्ज होकर सुनवाई हेतु नियत किया गया। लेकिन मंत्रालिक कर्मचारियों की हडताल एवं मंहगाई राहत शिविर होने से इस प्रकरण की सुनवाई नही हुई। आदेश के उपरान्त न्यायालय सहायक कलेक्टर के पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन हो चुका है तथा उनके द्वारा न्यायालय में अब नियमित सुनवाई की जा रही हैं। प्रार्थी की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा केवल इस प्रकरण के लिए रेलमगरा जाना संभव नही हैं। वैसे भी प्रार्थना पत्र न्यायालय में पूर्व में नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय नही किये जाने से आदेश पारित किया था जिनका स्थानान्तरण हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण की सुनवाई पुनः नियमित न्यायालय में करवाये जाने का आदेश फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण की पत्रावली सक्षम न्यायालय सहायक कलेक्टर राजसमन्द में अन्तरण कराने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी कर तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर रेलमगरा से टिप्पणी मंगवाई गई।

विपक्षी की और से राजकिय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति देते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया। पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर रेलमगरा से दिनांक 07.08.2023 को प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रकरण को पुनः सहायक कलक्टर राजसमन्द में स्थानान्तरित करने में अनापत्ति जाहिर की।

पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मंत्रालिक कर्मचारियों की हडताल एवं मंहगाई राहत शिविर होने से इस प्रकरण की सुनवाई नही हुई। आदेश के उपरान्त न्यायालय सहायक कलेक्टर राजसमन्द के पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन हो चुका है तथा उनके द्वारा न्यायालय में अब नियमित सुनवाई की जा रही हैं। प्रार्थी की ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा केवल इस प्रकरण के लिए रेलमगरा जाना संभव नही हैं। वैसे भी प्रार्थना पत्र न्यायालय में पूर्व में नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय नही किये जाने से आदेश पारित किया गया था जिनका स्थानान्तरण हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण की सुनवाई पुनः नियमित न्यायालय में करवाये जाने का आदेश फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अधिवक्ता विपक्षी के द्वारा बहस में निवेदन किया है कि वर्ष 2022 से न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय, राजसमन्द में यह प्रकरण विचाराधीन हैं। प्रकरण को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णित नही करने के आधार पर स्थानान्तरण किया गया। वर्तमान में राजसमन्द में पीठासीन अधिकरी कार्यतर हैं। पीठासीन अधिकारी रेलमगरा द्वारा प्रकरण को स्थानान्तरण करने में अनापत्ति जाहिर की गई हैं। इसलिए विधिसम्मत आदेश पारित किया जावें।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं टिप्पणी का अवलोकन किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर रेलमगरा में मंत्रालिक कर्मचारियों की हडताल एवं मंहगाई राहत शिविर होने से इस प्रकरण की नियमित सुनवाई नही हुई तथा न्यायालय सहायक कलक्टर राजसमन्द के नये पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन हो चुका है तथा उनके द्वारा न्यायालय में अब नियमित सुनवाई की जा रही हैं। पूर्व में सहायक कलक्टर राजसमन्द में नियुक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय नही किये जाने से उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु प्रकरण स्थानान्तरण का आदेश पारित किया गया था वर्तमान में पूर्व पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर राजसमन्द का स्थानान्तरण होने व वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय में नियमित सुनवाई किये जाने एवं प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अवलोकन करते हुए प्रकरण को पुनः सहायक कलक्टर रेलमगरा से सहायक कलक्टर राजसमन्द में स्थानान्तरीत किया जाना न्यायोचित प्रतित होने से प्रकरण को सहायक कलक्टर रेलमगरा से सहायक कलक्टर राजसमन्द स्थानान्तरीत किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण को सहायक कलक्टर, रेलमगरा से सहायक कलक्टर, राजसमन्द में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पारित किया जाता हैं। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर, रेलमगरा को प्रेषित करे।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 25.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद